

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवा नि./अलेसे -III/8043-8053

दिनांक :- 12.05.2015

आदेश

श्री नौनिहाल गुप्ता जो कनिष्ठ लेखाकार के रूप में कोष कार्यालय, कोटा में कार्यरत है, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.05.2015 से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री नौनिहाल गुप्ता के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

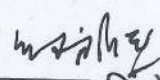

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवा नि./अलेसे -III/8043-8053

दिनांक :- 12.05.2015

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर/बोकानेर/कोटा/उदयपुर।
3. कोषाधिकारी, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच प्रस्तावित हो तथा ऐसी कोई शिकायत हो, जो पेंशन को प्रभावित करती हो तो अविलम्ब इसकी सूचना पेंशन कार्यालय व इस विभाग को भिजवावे ताकि सथासमय उचित कार्रवाई की जा सके।
4. श्री नौनिहाल गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोटा।
5. संयुक्त निदेशक (विधि/जांच)।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. गोपनीय शाखा/डीपीसी शाखा/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट हेतु)।
8. निजी गार्ड फाइल।


(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)